

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरु)


"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022"

हड़मानाराम बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र— अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

न.मु.— 262/2022

GCMS No. - 2022/134

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए										
12.11.22	<p>यह प्रार्थना-पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री हड़मानाराम पुत्र स्व. शेराराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।</p> <p>प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि रोही लालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 में नया खाता संख्या 51 व पुराना खाता संख्या 46 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कैलाश पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार हड़मानाराम पुत्र शेराराम है। प्रार्थी का नाम हड़मानाराम पुत्र शेराराम किये जाने का आदेश फरमावें।</p> <p>प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही लालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 में नया खाता संख्या 51 व पुराना खाता संख्या 46 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कैलाश पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रार्थी का नाम हड़मानाराम पुत्र शेराराम शुद्ध किया जाना उचित है।</p> <p>प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, संलग्न दस्तावेजात, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कोलासर एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 में नया खाता संख्या 51 व पुराना खाता संख्या 46 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं—</p> <table border="1"><thead><tr><th>क्रं.स.</th><th>ग्राम</th><th>खाता संख्या</th><th>वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)</th><th>आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>लालपुरा</td><td>51 (नया) 46 (पुराना)</td><td>कैलाश पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर</td><td>हड़मानाराम पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर</td></tr></tbody></table> <p>राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हसब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को लिखाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़</p>  <p>पैनल अधिवक्ता (सदस्य) राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़</p> <p>रेवन्यू अधिकारी (सदस्य) राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़</p>	क्रं.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)	01	लालपुरा	51 (नया) 46 (पुराना)	कैलाश पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर	हड़मानाराम पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर	
क्रं.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)								
01	लालपुरा	51 (नया) 46 (पुराना)	कैलाश पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर	हड़मानाराम पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर								